UPKN010099672022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज–विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–5, कानपुर नगर।

उपस्थित – चन्द्रगुप्त (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP02181)

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–1424/2022

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन पक्ष

बनाम

1. फैज आलम पुत्र मो० परवेज,

   निवासी–96/6, जूही सफेद कॉलोनी, थाना–किदवई नगर, कानपुर नगर।

2. मो० कामिल पुत्र मो० अतीक,

   निवासी–381–डी, ओमपुरवा, नई बस्ती, थाना–चकेरी, कानपुर नगर।

3. बाबू पुत्र मो० सफी,

   निवासी–म०नं०–11, सनिगवां, थाना–चकेरी, कानपुर नगर।

.....अभियुक्तगण

मु०अ०सं०–504/2020
धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम
थाना–किदवई नगर, जनपद–कानपुर नगर।

निर्णय

पुलिस थाना–किदवई नगर , जनपद–कानपुर नगर द्वारा अभियुक्तगण फैज आलम पुत्र मो० परवेज, मो० कामिल पुत्र मो० अतीक व बाबू पुत्र मो० सफी के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज–विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा धनेश प्रसाद , प्रभारी निरीक्षक, थाना–किदवई नगर, जिला–कानपुर नगर ने दिनांक 17.10.2020 को

थाना–किदवई नगर, जनपद–कानपुर नगर में इस आशय की जुबानी सूचना दिया कि रोजनामचाआम तारीखी इमरोजा से बाद देखभाल क्षेत्र, शान्ति व्यवस्था, रोकथाम जुर्म जरायम, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त फैज आलम पुत्र मो० परवेज एक अभ्यस्त अपराधी एवं गैंग लीडर है। इस गैंग के अन्य सदस्य मो० कामिल पुत्र मो० अतीक, बाबू पुत्र मो० सफी व शीबू पुत्र अहमद हुसैन हैं। ये अभियुक्तगण संगठित गिरोह बनाकर अपने तथा अपने गिरोह के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लूट जैसे संगीन घटनाओं को कारित करके अवैध तरीके से धन अर्जित करते हैं। अभियुक्तगण उपरोक्त भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16, 17 व 22 में वर्णित अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी हैं। इनका समाज में इतना भय व आतंक व्याप्त है कि कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध गवाही देने को तैयार नहीं होता है। अभियुक्तगण के क्रियाकलाप को देखते हुए इनका स्वतंत्र रहना समाज–हित में नहीं है। गैंग लीडर व उनके सदस्यों द्वारा कारित अपराध का विवरण गैंग चार्ट के अनुसार निम्नवत है – मु०अ०सं०–379/2020 अन्तर्गत धारा 392, 411, 34 भा०द०सं०, थाना–किदवई नगर, मु०अ०सं०–336/2020 अन्तर्गत धारा 392, 411 भा०द०सं०, थाना–फजलगंज, मु०अ०सं०–587/2020 अन्तर्गत धारा 392, 411 भा०द०सं०, थाना–चकेरी, मु०अ०सं०–455/2020 अन्तर्गत धारा 392, 411 भा०द०सं०, थाना–बर्रा, जनपद–कानपुर नगर में कायम होकर बाद विवेचना आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त का यह कृत्य धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज–विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की परिधि में आता है, जिसके सम्बन्ध में गैंग चार्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट महोदय से अनुमोदित करा लिया गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज –विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जाय।

3. वादी मुकदमा धनेश प्रसाद की उक्त जुबानी सूचना के आधार पर मु०अ०सं०–504/2020 अन्तर्गत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज–विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना–किदवई नगर, जनपद–कानपुर नगर में अभियुक्तगण फैज आलम, मो० कामिल, बाबू व एक अन्य के विरूद्ध पंजीकृत हुआ।

4. वादी मुकदमा की उक्त जुबानी सूचना के आधार पर थाना–किदवई नगर में चिक रिपोर्ट दिनांक 17.10.2020 को समय 19:06 बजे दर्ज की गयी। मामले की विवेचना

तत्कालीन विवेचक द्वारा की गयी, जिसने दौरान विवेचना गवाहान के बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० लेखबद्ध किया तथा सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण फैज आलम, मो० कामिल व बाबू के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

5. न्यायालय द्वारा दिनांक 13.08.2021 को अभियुक्तगण फैज आलम, मो० कामिल एवं बाबू के विरूद्ध धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज–विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की माँग की।

6. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्षी संख्या–1 आरक्षी शिव नारायन मिश्रा को परीक्षित कराया गया। जिसके पश्चात अभियुक्तगण फैज आलम, मो० कामिल एवं बाबू द्वारा अपनी जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

7. अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श क –1 गैंग चार्ट की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श क–2 चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श क–3 आरोप–पत्र की प्रमाणित प्रति तथा प्रदर्श क –4 अभियोजन स्वीकृति की प्रमाणित प्रति को साबित किया है।

8. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अपना जुर्म स्वेच्छा से स्वीकार किया तथा कम से कम सजा से दण्डित किये जाने की याचना की।

9. बचाव पक्ष द्वारा कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य नहीं देने का कथन किया गया, अतः प्रतिरक्षा साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

10. मैंने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

11. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण फैज आलम, मो० कामिल एवं बाबू का एक संगठित गिरोह है। यह गिरोह अपने एवं अपने गैंग के सदस्य के आर्थिक, भौतिक लाभ के लिए भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16, 17 व 22 के अधीन वर्णित अपराध कारित करने का अभ्यस्त है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध अत्यन्त ही गम्भीर प्रकृति का है एवं इनसे जनता में भय व आतंक व्याप्त है। अभियुक्तगण ने अपना जुर्म स्वयं स्वीकार किया है, अतः अभियुक्तगण आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

12. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण ने अपना जुर्म स्वयं स्वीकार किया है, अतः उनकी अभिरक्षाधीन अवधि एवं निर्धनता को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाय।

13. अभियोजन साक्षी संख्या–1 के रूप में परीक्षित साक्षी आरक्षी शिव नारायन मिश्रा ने न्यायालय के समक्ष दिये गये साक्ष्य में गैंग चार्ट की प्रमाणित प्रति को प्रदर्श क –1, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति को प्रदर्श क –2, आरोप–पत्र की प्रमाणित प्रति को प्रदर्श क –3 तथा अभियोजन स्वीकृति की प्रमाणित प्रति को प्रदर्श क –4 के रूप में साबित किया है।

14. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य तथा अभियुक्तगण द्वारा की गई जुर्म स्वीकारोक्ति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज–विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम सन्देह से परे सिद्ध होता है। अतः अभियुक्तगण फैज आलम, मो० कामिल एवं बाबू उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज–विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

मुकदमा अपराध संख्या–504/2020, थाना–किदवई नगर, जनपद–कानपुर नगर के प्रकरण में अभियुक्तगण फैज आलम, मो० कामिल एवं बाबू को उन पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज–विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण फैज आलम, मो० कामिल एवं बाबू न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार, कानपुर नगर से न्यायालय में उपस्थित हैं।

दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच (Lunch Break) के बाद पुनः पेश हो।

दिनांक–16.11.2022

(चन्द्रगुप्त)
विशेष न्यायाधीश, उ०प्र० गिरोहबन्द एवं
समाज–विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–5, कानपुर नगर।

दिनांक–16.11.2022

पत्रावली लंच (Lunch Break) के बाद दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हुई। अभियुक्तगण फैज आलम, मो० कामिल एवं बाबू न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित हैं।

दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण अत्यन्त निर्धन हैं, वे छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना तथा अपने परिवार का जीवन–यापन करते रहे हैं। अभियुक्तगण ने अपना जुर्म स्वयं स्वीकार किया है, अतः उनकी अभिरक्षाधीन अवधि एवं निर्धनता को ध्यान में रखते हुए उदार दृष्टिकोण अपनाकर उन्हें न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाय।

जब कि अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्तगण को कठोरतम दण्ड से दण्डित किया जाय।

पत्रावली पर उपलब्ध अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर की आख्यानुसार अभियुक्तगण फैज आलम, मो० कामिल एवं बाबू प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 21.10.2020 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं।

अतः प्रकरण की सम्पूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–504/2020, थाना–किदवई नगर, जनपद–कानपुर नगर के प्रकरण में अभियुक्तगण फैज आलम, मो० कामिल एवं बाबू प्रत्येक को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज–विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत 2(दो) वर्ष 1(एक) माह के कठोर कारावास से तथा मु०–5,000/–(पाँच हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा करने में विफल रहने पर 2(दो) माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

इस मुकदमे में अभियुक्तगण द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जायेगी।

अभियुक्तगण का सजायावी अधिपत्र बनाकर उन्हें जिला कारागार प्रेषित किया जाय।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण को इस निर्णय की एक प्रति निःशुल्क तत्काल प्रदान की जाय।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–16.11.2022

(चन्द्रगुप्त)
विशेष न्यायाधीश, उ०प्र० गिरोहबन्द एवं
समाज–विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–5, कानपुर नगर।

अरुण/–

Digitally signed by
CHANDRAGUPTA
Date: 2022.11.16 16:34:08 IST
Reason: Judgement
Location: District and Sessions
Court Kanpur nagar